संख्या : /20 -दो(1)/XXXVI(2)/2012-110-दो(8)/11

(65)

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सदस्य-सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

न्याय अनुभाग- 2 देहरादून : दिनांक: 05 अक्टूबर, 2012

विषय: 13 वें वित्त आयोग की संस्तुति के कम में जिला उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में ए0डी0आर0 केन्द्रों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल के पत्र L.No255/SLSA/2012, दिनांक 07 अगस्त, 2012 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13 वें वित्त आयोग की संस्तुति के कम में जिला उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में ए0डी0आर0 केन्द्रों के निर्माण हेतु कमशः प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी एवं प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रथम चरण के अन्तर्गत गठित आगणन कमशः ₹ 3.89 लाख एवं ₹ 3.39 लाख के सापेक्ष **₹ 2.62 लाख एवं ₹ 2.68 लाख अर्थात कुल ₹ 5.30 लाख (₹ पाँच लाख तीस हजार मात्र)** पर सम्यक विचारोपरान्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(3) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय ।

(4) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ।

(5) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(7) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

(9) उक्त कार्यो को इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा एवं आगणनों का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जायेगा ।

(10) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक: 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) आगणन गठिन करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(12) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किय जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(13) सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक: 31.3.2013 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र 13वें वित्त आयोग की गाईडलाईन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुई बचत तथा कय की जाने वाली सामग्री के लिए स्वीकृत दरों के सापेक्ष हुई बचत की सूचना उपलब्ध करायी जायेगी एवं उक्त बचत की धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के आयोजनेत्तर पक्ष में लेखा-शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत मानक मद संख्या-0110-13वें वित्त आयोग की संस्तुति के कम में ए0डी0आर0 केन्द्र, के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-90-NP/XXVII(5)/2012, दिनांक: 26 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव

संख्या : /20-दो(1)/XXXVI(2)/2012-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाड़ी (उत्तरकाशी)/ पिथौरागढ़ ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
7. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।